राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

सं. एफ.4 (7) अमे/रूल्स/लीगल/पी.आर./2014/397 जयपुर, दिनांक :08.6.2016

अधिसूचना

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. – (1) इन नियमों का नाम राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 258 का संशोधन.– राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 258 के उप–नियम (1) के विद्यमान खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् : –

"(ग) पंचायत समिति और जिला परिषद सेवा में लिपिकवर्गीय और अधीनस्थ पद :

(i) सहायक कार्यालय अधीक्षक;

(ii) लिपिक ग्रेड–I;

(iii) लिपिक ग्रेड–II;

(iv) ड्राईवर;

(v) प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक;

(vi) ग्राम सेवक एवं पंचायत सचिव;

(vii) फिटर; और

(viii) हैण्डपम्प मिस्त्री।"

3. **नियम 259 का संशोधन.**– उक्त नियमों के नियम 259 के उप–नियम (6) के विद्यमान परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:–

"परन्तु यह और कि ग्राम सेवक और लिपिक ग्रेड–II के पदों के चयन के लिए सूची, राजस्थान अधीनस्थ और लिपिकवर्गीय सेवा चयन बोर्ड द्वारा राज्य स्तर पर तैयार की जायेगी।"

4. **नियम 263 का संशोधन.**– उक्त नियमों के नियम 263 के विद्यमान परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

"परन्तु यह और कि इस प्रकार अवधारित ग्राम सेवक और लिपिक ग्रेड–II के पदों की रिक्तियां आयुक्त, पंचायती राज, राजस्थान को संसूचित की जायेंगी।"

5. **नियम 266 का संशोधन.**– उक्त नियमों के नियम 266 में–

(i) विद्यमान खण्ड (2) और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(2) ग्राम सेवक एवं सचिव (100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा) स्नातक या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित अर्हता

और

इलैक्ट्रोनिक्स विभाग, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन डीओईएसीसी द्वारा संचालित 'ओ' या उच्चतर लेवल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।

या

व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय/राज्य परिषद् के अधीन आयोजित कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक (क. ऑ.प्रो.स.) /डाटा प्रेपरेशन और कम्प्यूटर रोफ्टवेअर (डा.प्रे.क.सो.) प्रमाणपत्र।

या

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा।

या

सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त पॉलीटेक्निक संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी में डिप्लोमा।

या

राजस्थान नॉलेज कार्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रणाधीन, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा संचालित सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (रा.रा.सू.प्रौ. प्र.पा.)।"; और

(ii) विद्यमान खण्ड (5) और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(5) चतुर्थ श्रेणी (100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा) पांचवी कक्षा उत्तीर्ण।"

6. **नियम 273 का हटाया जाना.**– उक्त नियमों का विद्यमान नियम 273 हटाया जायेगा।

7. **नियम 274 का संशोधन.**– उक्त नियमों के नियम 274 के उप–नियम (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "जिले में, अधिनियम की धारा 89 की उप–धारा (2) के खण्ड (iii) में विनिर्दिष्ट पद के अलावा पदों की प्रत्येक श्रेणी या प्रवर्ग में" के स्थान पर अभिव्यक्ति, "जिले में, ग्राम सेवक, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक, लिपिक ग्रेड–II के पदों के अलावा पदों की प्रत्येक श्रेणी या प्रवर्ग में" प्रतिस्थापित की जायेगी।

8. **नये नियम 277ख का अन्तःस्थापन.**– उक्त नियमों के विद्यमान नियम 277क के पश्चात् और विद्यमान नियम 278 के पूर्व, निम्नलिखित नया नियम 277ख अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"**277ख. ग्राम सेवक और लिपिक ग्रेड–II के पद के लिए सीधी भर्ती की प्रक्रिया और पद्धति.**– इन नियमों में कुछ भी अंतर्विष्ट होने पर भी, ग्राम सेवक और लिपिक ग्रेड–II के पद पर सीधी भर्ती निम्नलिखित रीति में की जायेगी, अर्थात्:–

(i) ग्राम सेवक और लिपिक ग्रेड–II के पद इन नियमों के अनुसार राजस्थान अधीनस्थ और लिपिकवर्गीय सेवा चयन बोर्ड द्वारा संचालित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे।

(ii) ग्राम सेवक और लिपिक ग्रेड–II के पदों की सीधी भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा होगा जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाये;

(iii) आवेदन राजस्थान अधीनस्थ और लिपिकवर्गीय सेवा चयन बोर्ड द्वारा पदों को ऐसी रीति में, जैसा वह उचित समझे, विज्ञापित करके आमंत्रित किये जायेंगे और आवेदन ऐसे प्ररूप में किया जायेगा जैसा वे अनुमोदित करें। अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र में, उनके अधिमान के क्रम में समस्त 33 जिलों के नाम कथित करने की अपेक्षा की जायेगी, जिनमें वे सेवा करना चाहते हैं;

(iv) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन, विज्ञापन में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित भी अन्तर्विष्ट होगा :–

(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों, विशेष पिछड़े वर्गों, महिला, निःशक्त व्यक्ति, खिलाडियों, यदि कोई हो, के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों और अनुसूचित क्षेत्र के पदों की संख्या को पृथकतः उपदर्शित करते हुए ऐसे परीक्षा के परिणामस्वरूप भरे जाने वाले पदों की संख्या;

(ख) प्रवेश के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख;

(ग) परीक्षा में प्रवेश के लिए अपेक्षित अर्हता और अभ्यर्थियों द्वारा उनकी योग्यता स्थापित करने के लिए उठाये जाने वाले कदम;

(घ) विज्ञापन में एक खण्ड अंतर्विष्ट होगा कि कोई अभ्यर्थी, जो उसे प्रस्तावित किये गये पद पर नियोजन स्वीकार करता है, को परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा नियत दर पर मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा और विज्ञापन में कहीं पर भी दर्शित पद का

वेतनमान परिवीक्षा की कालावधि के सफलतापूर्वक पूर्ण करने की तारीख से ही अनुज्ञात किया जायेगा;

(v) विज्ञापन के अतिरिक्त, राजस्थान अधीनस्थ और लिपिकवर्गीय सेवा चयन बोर्ड ऐसी अन्य रीति में, जैसा राजस्थान अधीनस्थ और लिपिकवर्गीय सेवा चयन बोर्ड उचित समझे, अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए ऐसे अन्य अनुदेश जारी कर सकेगा;

(vi) सेवा में पद की सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी राजस्थान अधीनस्थ और लिपिकवर्गीय सेवा चयन बोर्ड को ऐसी फीस का संदाय करेगा जो उसके द्वारा समय–समय नियत की जाये और ऐसी रीति में जो उनके द्वारा उपदर्शित की जाये।

(vii) फीस के प्रतिदाय के लिए कोई दावा ग्रहण नहीं किया जायेगा न ही फीस किसी अन्य परीक्षा के लिए आरक्षित रखी जायेगी सिवाय जब कि आयुक्त, पंचायतीराज के द्वारा अध्यपेक्षा के प्रत्याहरण के कारण या किसी अन्य कारण से विज्ञापन राजस्थान अधीनस्थ और लिपिकवर्गीय सेवा चयन बोर्ड द्वारा रद्द कर दिया जाये, उस दशा में रकम का प्रतिदाय किया जायेगा:

परन्तु फीस के प्रतिदाय के लिए कोई दावा, अभ्यर्थी को राजस्थान अधीनस्थ और लिपिकवर्गीय सेवा चयन बोर्ड द्वारा प्रतिदाय के पत्र के जारी किये जाने की तारीख से एक मास की कालावधि के पश्चात् ग्रहण नहीं किया जायेगा;

(viii) आवेदन जो अपूर्ण पाये जाते है या जो राजस्थान अधीनस्थ और लिपिकवर्गीय सेवा चयन बोर्ड द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार नहीं भरे गये हैं, उसके द्वारा प्रारंभिक स्तर पर ही अस्वीकार कर दिये जायेंगे। राजस्थान अधीनस्थ और लिपिकवर्गीय सेवा चयन बोर्ड शेष रहे उन अभ्यर्थियों को अनन्तिम रूप से परीक्षा में उपस्थित होने की अनुज्ञा देगा जिनको प्रवेश–पत्र मंजूर किया जाना वह समुचित

समझे। किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि वह परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व राजस्थान अधीनस्थ और लिपिकवर्गीय सेवा चयन बोर्ड द्वारा उस परीक्षा के लिए मंजूर किया गया प्रवेश–पत्र धारण नहीं करता है, अभ्यर्थी द्वारा स्वयं यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वह इन नियमों में उपबंधित आयु, शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, यदि कोई हो, के संबंध में शर्तें पूर्ण करता है। परीक्षा देने के लिए अनुज्ञात किया जाना किसी अभ्यर्थी को पात्रता का हकदार नहीं बनायेगा। राजस्थान अधीनस्थ और लिपिकवर्गीय सेवा चयन बोर्ड बाद में केवल ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदनों की जांच करेगा जो लिखित परीक्षा में अर्हित हुए हैं।

(ix) किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश और पात्रता के संबंध में राजस्थान अधीनस्थ और लिपिकवर्गीय सेवा चयन बोर्ड का विनिश्चय अंतिम होगा।

(x) राजस्थान अधीनस्थ और लिपिकवर्गीय सेवा चयन बोर्ड, ग्राम सेवक या, यथास्थिति, लिपिक ग्रेड–II के चयन के लिए संचालित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की प्रवर्गवार योग्यता सूची तैयार करेगाः

परन्तु राजस्थान अधीनस्थ और लिपिकवर्गीय सेवा चयन बोर्ड अंतिम रूप से प्रज्ञापित की गयी रिक्तियों के पचास प्रतिशत की सीमा तक, उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम आरक्षित सूची में रख सकेगा। राजस्थान अधीनस्थ और लिपिकवर्गीय सेवा चयन बोर्ड अध्यपेक्षा पर, ऐसी तारीख से छह मास के भीतर जिसको मूल सूची राजस्थान अधीनस्थ और लिपिकवर्गीय सेवा चयन बोर्ड द्वारा अग्रेषित की गयी थी, आयुक्त, पंचायती राज को योग्यताक्रम में ऐसे अभ्यर्थियों के नामों की सिफारिश कर सकेगाः

परन्तु यह और कि राजस्थान अधीनस्थ और लिपिकवर्गीय सेवा चयन बोर्ड समय–समय पर सरकार द्वारा विहित आरक्षण के

अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, महिला, निःशक्त व्यक्ति और खिलाड़ियों से संबंधित अभ्यर्थियों की पृथक सूची तैयार करेगा।

(xi) अभ्यर्थियों के नाम परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त कुल अंकों के क्रम में संबंधित सूची में क्रमांकित किये जायेंगे।

(xii) राजस्थान अधीनस्थ और लिपिकवर्गीय सेवा चयन बोर्ड इन सूचियों को आयुक्त, पंचायती राज को प्रेषित करेगा जो संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी की सूचना के लिए इसे अधिसूचित करेगा। इन सूचियों में से आयुक्त, पंचायती राज आवेदन प्ररूप में लिखित अभ्यर्थियों के अधिमान के अनुसार जिले आवंटित करेगा।

9. **नियम 286 का संशोधन.**– उक्त नियमों के नियम 286 का विद्यमान उप–नियम (3) हटाया जायेगा।

10. **नियम 290 का संशोधन.**– उक्त नियमों के नियम 290 में,–

(i) उप–नियम (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "किसी सदस्य का" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "जिले के भीतर" के पूर्व, अभिव्यक्ति "पदस्थापन के किसी स्थान से पदस्थापन के किसी अन्य स्थान पर चाहे उसी पंचायत समिति के भीतर हो या" अन्तःस्थापित की जायेगी।

(ii) उप–नियम (2) में, अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(iii) इस प्रकार संशोधित विद्यमान उप–नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित नया परंतुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

"परंतु अधिनियम की धारा 89 की उप–धारा (2) के खण्ड (i) और (iv) में विनिर्दिष्ट पदों के कर्मचारियों को उस जिले से बाहर स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा जिसमें उन्हें नियुक्त किया गया था।"

11. नियम 353 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 353 के विद्यमान उप–नियम (1) के पश्चात् और विद्यमान उप–नियम (2) के पूर्व, निम्नलिखित नया उप–नियम (1क) अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(1क) प्रत्येक पंचायत का सरपंच, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 20 अप्रैल तक संबंधित पंचायत के भामाशाह कार्ड धारकों की सूची प्रकाशित करेगा।"

12. अनुसूची–1 का संशोधन.– उक्त नियमों के अध्याय–12 की अनुसूची–1 में,–

(i) क्रम संख्याक 1क के सामने स्तंभ संख्यांक 2 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "कार्यालय सहायक" के स्थान पर अभिव्यक्ति "सहायक कार्यालय अधीक्षक" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) क्रम संख्याक 2 के सामने स्तंभ संख्यांक 2 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "वरिष्ठ लिपिक एवं स्टेनो को सम्मिलित करते हुए वरिष्ठ लिपिक" के स्थान पर अभिव्यक्ति "लिपिक ग्रेड–I" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(iii) क्रम संख्याक 3 के सामने स्तंभ संख्यांक 2 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "कनिष्ठ लिपिक (950–1680)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "लिपिक ग्रेड–II" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(iv) क्रम संख्याक 2 के सामने स्तंभ संख्यांक 6 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "कनिष्ठ लिपिक" के स्थान पर अभिव्यक्ति "लिपिक ग्रेड–II" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(v) विद्यमान क्रम संख्यांक 7 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"

7.	चतुर्थ श्रेणी	100 प्रतिशत	–	पांचवी कक्षा उत्तीर्ण	–	–	–

"

राज्यपाल के आदेश से,

(राजेन्द्र शेखर मक्कड़)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः–

1. विशिष्ट सहायक, मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राज0, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राज0, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राज0, जयपुर ।
4. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र(असाधारण) के भाग 4(सी)(जी.एस.आई.आर.) के उपखण्ड 1 में प्रकाशनार्थ प्रेषित है ।
5. समस्त अधिकारीगण (मुख्यालय),पंचायती राज/ग्रामीण विकास विभाग
6. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त शासन सचिव (विधि)